

अनिल कुमार चौधरी
निदेशक

ANIL KUMAR CHOUDHARY

DIRECTOR
TEL : 23344933
FAX : 23364197



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : akchoudhary@nic.in

No.C-06/2009-MPLADS

07.10.2011

To


All State/ UT Nodal Secretaries

Subject: Auditing Account of MPLAD Scheme at district level-reg:-

As per Para 5.4 of the MPLADS Guidelines, the Auditors should be engaged by State/UT Government for each District Authority on the basis of the recommendation of the Accountant General of the State/UT concerned. It is also stipulated in the Guidelines that the District Authority will submit for every year the audited accounts, reports and certificates to the State Government and the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

2. All State Nodal Departments are requested to strictly adhere to the above provision of the MPLADS Guidelines, while appointing auditors for auditing MPLADS accounts.

Yours faithfully,


(A.K. Choudhary)

Copy for necessary action:-

1. All District authorities
2. Lok Sabha/Rajya Sabha Committee on MPLADS
3. NIC for uploading on the MPLADS Website.
4. All Accountant Generals of States/UTs
5. Deputy C&AG, New Delhi.

अनिल कुमार चौधरी
निदेशक

ANIL KUMAR CHOUDHARY

DIRECTOR
TEL : 23344933
FAX : 23364197



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : akchoudhary@nic.in

सं. सी-06/2009-एमपीलैड्स

07.10.2011

सेवा में,


सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव

विषय: जिला स्तर पर एमपीलैड स्कीम के लेखों के लेखा परीक्षण-के बारे में ।

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 5.4 के अनुसार, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के महालेखाकार की सिफारिश के आधार पर प्रत्येक जिला प्राधिकारी हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा लेखा परीक्षक नियोजित किए जाने चाहिए । दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि जिला प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षित लेखाओं, रिपोर्टों तथा प्रमाणपत्रों को राज्य सरकार तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे ।

2. सभी राज्य नोडल विभागों से अनुरोध है कि एमपीलैड्स लेखाओं के लेखापरीक्षण करने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते समय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के उपर्युक्त प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन करें ।

भवदीय,


(ए.के. चौधरी)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. सभी जिला प्राधिकारी
2. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा/राज्य सभा समिति
3. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करते हेतु ।
4. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सभी महालेखाकार
5. उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।